

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

क्रमांक :- नाम दुरुस्ती / 2025 / 541

दिनांक :- 28/3/2025

-:आदेश:-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थीया ममता, सुचित्रा पुत्रियान ओमप्रकाश जाति भेघवाल निवासी गांधीबडी त0 भादरा ने पेश कर निवेदन किया कि चक 3 एसडीआर के खाता सं0 71/16 के मु0 न0 39, 40, 41 में प्रार्थीयान के नाम प्रत्येक का 1/50 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 एसडीआर के खाता सं0 126/7 के मु0 न0 94, 95 में प्रार्थीयान के नाम प्रत्येक के नाम 1/50 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं

नोट:- यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि मोहनलता, मोहनलाल व सिलोचना पुत्रियान ओमप्रकाश के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम मोहनलता, मोहनलाल व सिलोचना पुत्रियान ओमप्रकाश ही लागू होगा।

| क्र. सं. | ग्राम/चक | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)                     | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|----------|-------------|--|--|
| 1        | 2        | 3           | 4  | 5  |
| 1.       | 3 एसडीआर | 71/16       | 1. मोहनलता पुत्री ओमप्रकाश<br>2. सिलोचना पुत्री ओमप्रकाश | 1.ममता पुत्री ओमप्रकाश<br>2.सुचित्रादेवी पुत्री ओमप्रकाश     |
|          | 6 एसडीआर | 126/7       | 1. मोहनलाल पुत्र ओमप्रकाश<br>2. सिलोचना पुत्री ओमप्रकाश  | 1 ममता पुत्री ओमप्रकाश<br>2.सुचित्रादेवी पुत्री ओमप्रकाश     |

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
भादरा जिला हनुमानगढ  
दिनांक :- 28/3/2025

क्रमांक:- सम/2025/542-543

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार ( राजस्व ) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया ममता, सुचित्रादेवी पुत्रियान ओमप्रकाश को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
भादरा जिला हनुमानगढ

